Multilevel planning for India ~~[illegible]~~

भारत में बहुस्तरीय नियोजन

भारत में सम्पूर्ण नियोजन प्रक्रिया केन्द्रीकृत रही है, जिसमें सम्पूर्ण देश के लिए नियोजन नीति का निर्धारण, बजट प्रावधान, दिशा-निर्देश प्राय: योजना आयोग द्वारा ही निर्गत किये जाते रहे हैं। क्षेत्रीय इकाइयाँ जैसे राज्य, जिला केवल कार्यान्वयन के स्तर पर ही प्रकाश में आते हैं। इसके विपरीत बहुस्तरीय नियोजन देश के विभिन्न पदानुक्रम के प्रदेशों और उपप्रदेशों के अन्तर्सम्बन्धित तंत्र में सम्बन्धित है, जिसमें एक ही प्रदेश को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजित करके प्रत्येक के लिए नियोजन प्रक्रिया अपनायी जाती है। क्षेत्रीय रूप में अलग-2 नियोजन होने पर भी विभिन्न क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय नियोजन प्रक्रिया में समन्वयन मिलता है। इस तरह अधोस्तरीय नियोजन उर्ध्वस्तरीय नियोजन हेतु एक आधार प्रस्तुत करता है क्योंकि न्यूनतम स्तर पर (Grass root level) विद्यमान सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के सम्बन्ध में उच्चस्तर पर जानकारी उपलब्ध हो जाती है, इस प्रक्रिया से यह लाभ होता है कि न्यूनतम स्तर पर नियोजन प्रक्रिया में क्षेत्रीय जनभागीदारी सुनिश्चित हो जाती है।

सुन्दरम के अनुसार बहुस्तरीय नियोजन में नीतिगत निर्णय और नियोजन प्रक्रिया के कार्यान्वयन में उच्च स्तर से न्यूनतम स्तर तक सामूहिक भागीदारी रहती है। कार्यक्रम कार्यान्वयन के स्तर पर कार्यात्मक भागीदारी, वित्तीय विकेन्द्रीकरण, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, जनभागीदारी और विभिन्न योजनाओं में समन्वयन (Integration) द्वारा बहुस्तरीय नियोजन अधिक प्रभावशाली हो सकता है। ~~बहुस्तरीय नियोजन पाँच स्तरों में कार्यशील होता है।~~ सन् 1993 ई० में पंचायत राज अधिनियम लागू होने के बाद इस दिशा में सार्थक पहल हुई और एक तरह से निम्नतम स्तर (Grassroot level) तक नियोजन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं-।

1. राष्ट्रीय स्तर (National level) या प्रथम स्तर नियोजन (first level plan)

बहुस्तरीय नियोजन के सापेक्ष में प्रथम स्तर नियोजन केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। जिसका प्रधान (Head) राष्ट्रपति होते जो सभी सांसदों के प्रधान प्रधानमंत्री के द्वारा दिये गये सलाह पर कार्य क्रियान्वित करते हैं। किसी भी केन्द्र सरकारी कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए तीन स्तर पर कार्य निर्धारित होता है। प्रथम स्तर प्रधानमंत्री, केन्द्र मंत्री (Cabinet minister), राज्यमंत्री (Minister of State) प्रभारी मंत्री और संसदीय सचिव; (द्वितीय) होते हैं। द्वितीय स्तर पर सभी मंत्रालयों ~~विभागों~~ के सचिव एवं सचिवों के संगठन ~~[illegible]~~ जबकि तृतीय स्तर पर प्रबंधन (कार्यकारी) कार्य के लिए (executive organisation) सभी विभागों के प्रबंधन (कार्यकारी) और सभी मंत्रालयों से मिलकर बना होता है। लेकिन किसी भी योजना का निर्माण योजना

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

आयोग द्वारा होता था जिसका अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। 52 वें संशोधन के साथ इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्माण, बजट प्रावधान और विभिन्न राज्यों तथा मंत्रालयों की योजनाओं का समन्वयन करना है। यह तीन तरह की योजना दीर्घकालिक (15-25 वर्ष), पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना। इस योजना आयोग के स्थान पर 1 Jan 2015 को नीति आयोग (NITI Ayog) (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) क्रियाशील हुआ जिसका अध्यक्ष पदेन प्रधान मंत्री ही होते हैं। यह आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुँचायेगा। आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनायेगा। इसके अतिरिक्त आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देगा। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। उन वर्गों पर विशेष बल देगा जिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाये हों। इस प्रकार नीति आयोग ग्राम से लेकर देश तक के विकास के लिए योजना को सोचने का कार्य करता है अर्थात् यह एक "Think tank" के रूप में सेवा प्रदान करता है।

राज्य स्तर (State level) - Second Level Planing ⇒

द्वितीय स्तर राज्य द्वारा बनता है जिसका प्रमुख गवर्नर होता है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्त किया जाता है। पर इसका कार्य भी मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रालयों के मंत्री द्वारा अनुमोदित कार्यों को ही करना होता है। सभी मंत्रालय सचिवालय के सचिवों के द्वारा जुड़े होते हैं। नीतिनिर्धारण, उनकी क्रियान्वयन आदि सचिवों द्वारा निर्धारित होता है। राज्य स्तर पर मंत्रालयों को तीन स्तर पर बाँटा जाता है -

1. विकासशील विभाग (कृषि, पशुपालन, ग्रामीण, उद्योग विभाग आदि)
2. सामाजिक कल्याण विभाग (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण विभाग)
3. कोओर्डिनेटिंग विभाग (गृह, निर्वाचिक, वित्त आदि)

इसी तरह से मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सभी विषयों को तीन भागों में बाँटा गया है -

1. यूनियन लिस्ट (संघ सूची) → केन्द्र सरकार द्वारा - रक्षा, वित्त, विदेश, युद्ध एवं शांति

ii) राज्य सूची => शिक्षा, पुलिस आदि-
iii) समवर्ती सूची => विवाह, रेलवे, उद्योग आदि -

इसप्रकार राज्य स्तर पर मंत्रालयों के योजना प्रस्ताव, निर्धारण और बजट प्रावधान राज्य नियोजन विभाग स्वयं तैयार करता है और सम्बन्धित मंत्रालय एवं प्रशासन तंत्र से मिलकर उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। इसके साथ देश की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं से सम्बन्धित आकड़े राज्य नियोजन विभाग ही उपलब्ध कराता है। इस तरह राष्ट्रीय योजनाओं के लिए यह आधारभूत ढांचा तैयार करता है।

iii) जिला स्तर (District level) तृतीय स्तर

बहुस्तरीय नियोजन के तृतीय पदानुक्रम पर, जिला इकाईयों को विकेन्द्रीकृत नियोजन का एक आदर्श आधार माना जाता है। राज्य स्तर के अन्तर्गत जिले अपनी भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रीय विस्तार के कारण लघुस्तर के नियोजन प्रदेश बन सकते हैं। क्योंकि सम्पूर्ण देश में जिला ही प्रशासनिक ढांचे की एक सुदृढ़ इकाई है। अधिकांश नियोजक, अर्थशास्त्री और भूगोलवेत्ता भी जिला स्तर को केन्द्रीकृत नियोजन में विकेन्द्रीकरण का आधार मानते हैं।

जिला स्तर पर जिलाधिकारी, विभिन्न प्रशासनिक और आर्थिक सामाजिक कार्यों हेतु अतिरिक्त जिलाधिकारी तथा निम्न क्रम में लेखपाल तक प्रशासन तंत्र स्थापित है। एक तरह से जिला विभिन्न प्रशासनिक तथा सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का प्रमाणिक संग्रह है। इसलिए जिले को एक नियोजन इकाई के रूप में स्वीकार करना औचित्यपूर्ण है। भारतीय नियोजन में महत्वपूर्ण इकाई रहते हुए भी जिला स्तर पर नियोजन नीतियों के निर्धारण, बजट प्रावधान तथा कार्यान्वयन में कोई स्वतंत्रता नहीं रही है। राज्य स्तर के नियोजन विभाग का ही अधिकार जिला स्तर पर रहा है।

iv) विकास खण्ड स्तर (Block level) =>

विकेन्द्रीकृत नियोजन का परिणाम ही विकासखंड स्तरीय नियोजन है इसमें जिलों को विकासखंडों में विभाजित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य जिले में स्थानीय संसाधनों के आधार पर आर्थिक कार्यक्रमों के विकास को बेहतर करना है। इसके कार्य लघु क्षेत्र में स्थानीय संसाधन संभाव्यता का आकलन, विभिन्न कार्यों

क्षेत्रीय जनसंख्या की सक्रिय भागीदारी
का निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा क्षेत्रीय जनसंख्या की सक्रिय भागीदारी खंड विकास अधिकारी
था। जिला से नीचे बहुस्तरीय क्रम के चतुर्थ स्तर पर खंड विकास अधिकारी
से लेकर ग्राम विकास अधिकारी तक सुदृढ़ प्रशासन तंत्र तथा जनप्रतिनिधि-
यों की संस्थागत संरचना का द्वि-स्तरीय ढाँचा क्षेत्रीय नियोजन के
संकल्पनात्मक स्वरूप से लेकर क्रियान्वयन तक सक्षम है।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना में विकासखंड की महत्ता
बढ़ा दी गई तथा 1983 ई० में सम्पूर्ण विकासखंडीय नियोजन प्रक्रिया को
राष्ट्रीय नियोजन से सम्बन्धित कर दिया गया। इस नियोजन स्तर पर
संसाधन संभाव्यता का आकलन आसान है। विभिन्न जनसंख्या वर्गों में
प्राथमिकता निर्धारण, अधिक वैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से संभव है इसमें
प्रचलित अर्थतंत्र जैसे कृषि में उन्नतशील बीज, उर्वरक वितरण, कृषि कृत्य
लघु एवं कृषि आधारित उद्योगों का विकास, परिवहन तत्वों का विकास
प्रत्यक्ष निर्धारण एवं क्रियान्वयन द्वारा संभव है।

इस प्रकार विकास खंड स्तर पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक
कार्यक्रमों का उद्देश्य क्षेत्रीय जनसंख्या की विभिन्न समस्याओं यथा - बेरोजगारी
गरीबी, स्वास्थ्य, भुखमरी को दूर करना तथा इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों
को क्षेत्रीय जनसंख्या की सहायता से पूरा करना है।

पंचायत स्तर (Panchayat Level) ⇒

भारत में बहुस्तरीय क्रम के अंतिम चरण में पंचायत स्तर का समावेश मूलतः
सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए
किया गया। देश के सभी राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन और उसे
कार्य निर्धारित करने का अधिकार पंचायत राज्य अधिनियम द्वारा
प्रदान किये गये हैं जैसे सम्पूर्ण पंचायत राज्य एक तंत्र के रूप में
स्थापित किया गया है जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, द्वितीय स्तर
पर ब्लॉक पंचायत और तृतीय स्तर पर जिला पंचायत को रखा गया है
सभी स्तरों पर प्रजातांत्रिक तरीके से जनप्रतिनिधि प्रदान किया गया है।

पंचायत राज अधिनियम (1996) के अनुसार
(1) ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के अंतराल पर कराना अनिवार्य है इसकी
ii) और ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी तथा सचिव
iii) प्रशासन तंत्र की लघुतम इकाई है जो विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन
हेतु उत्तरदायी है। वही योजना प्रगति का पर्यवेक्षक, ग्राम-पंचायत में
ग्राम-प्रधान तथा ग्राम समिति का अधिकारी है। ग्राम पंचायत के अधीन
(1) ग्राम स्तर पर कृषि विकास, पारिवारिक उद्योगों का विकास, चिकित्सकीय
सहायता, मातृ शिशु कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण मार्ग, जल संचय

ल-छोटे-2 कार्य है। बहुत से राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य भी ग्राम पंचायतों के अधीन है। इस तरह भौगोलिक दृष्टि से ग्राम पंचायत भारतीय बहुस्तरीय नियोजन की लघुतम क्षेत्रीय इकाई है। भारत में कुल 2.20 लाख ग्राम पंचायत, 5500 पंचायत समिति और 600 जिला परिषद् है।

निष्कर्ष Conclusion => बहुस्तरीय नियोजन विकेन्द्रीकृत योजना की प्रमुख साधन है जिसके द्वारा साध्य के परिप्रेक्ष्य में कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। बहुस्तरीय नियोजन के अधोमुखी प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय नीतियों योजनागत प्राथमिकताओं, उद्देश्यों, वित्तीय संसाधनों, विविध तकनीकों का निम्न स्तर तक पहुंचाना संभव होता है साथ ही साथ उर्ध्वमुखी प्रवाह द्वारा स्थानीय प्राथमिकताओं उद्देश्य एवं आकांक्षाओं उच्चतम स्तर तक पहुंचेगा। इसप्रकार बहुस्तरीय नियोजन देश के भौगोलिक विषमताओं के अनुसार समन्वित विकास को लाने में समर्थ होगा।

Scanned with OKEN Scanner